12
5-3-2020

CH-RHO UPM005003660/2019

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) गाजियाबाद

मुकदमा सं०-1544/2019

कु० नीलोफर

बनाम

श्रीमति खदीजा हसन

नकल - डिक्री

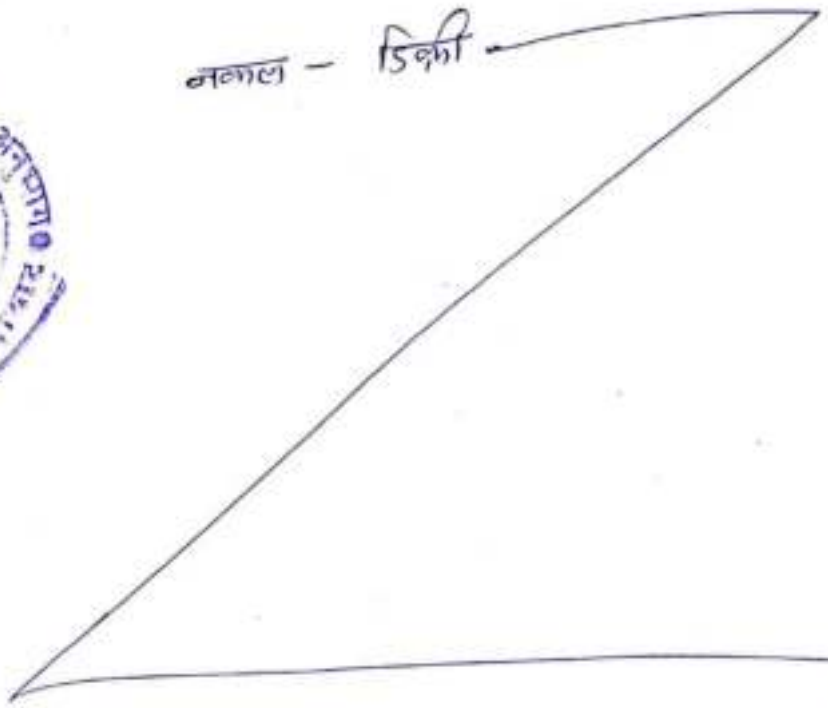

Scanned with CamScanner

क

मूलवाद में आराज़ि
(आदेश २० नियम 6-7)

न्यायालय सिविल जज (सी० डिवी०) मुरादाबाद ।

मूलवाद संख्या 1544/2019

31-क

सी०एन०आर० नं०-यू०पी० एम०ओ० 05-003660-2019

कु० नीलोफर उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व० अहमद हसन निवासनी एच-15-16 लाजपत नगर, मुरादाबाद ।

बनाम वादिनी-

श्री मती खदीजा हसन उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी श्री वसीम अहमद खान निवासनी एच-15-16 लाजपत नगर, मुरादाबाद ।

प्रतिवादनी--

संस्थित दिनांक - 07-11-2019
वाद का प्रकार - घोषणा
वाद का मूल्यांकन - 60,00,000/-
न्याय शुल्क - 200/-

यह कि वादनी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना है:-

(क) यह कि बजरिये डिक्री उद्घोषणा घोषणा इस आशय जारी की जावे कि वादनी सम्पत्ति परिशिष्ट (क) की मालिक, काबिज व दखील बजरिये हिबा मुजबानी दिनांकित 12-8-19 प्रतिवादनी जिसकी यद्दाश्त दिनांक 19-8-19 को निष्पादित हुई है, तथा प्रतिवादनी का कोई अधिकार 12-8-19 के पश्चात से वाद ग्रस्त सम्पत्ति से नहीं है। तथा वादनी तदनुसार अपना नाम सरकारी अभिलेखो में दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

(ख) यह कि खर्चा मुकदमा वादनी को प्रतिवादनी से दिलाया जावे।

(ग) यह कि अन्य अनुतोष जो श्रीमान अदालत में वादनी के हित में हो तथा वाद की परिस्थितियों अनुसार वादनी के खिलाफ प्रतिवादनी प्रदान किया जावे।

परिशिष्ट "क"

विवरण सम्पत्ति खसरा नं० 71, 72, 73, 74 कुल चार किते कुल रकबा 1.794 हे० बराबर 17940 वर्ग मीटर जो आबादी घोषित है।

-- शेष पृष्ठ -04- पर --

क

वादिनी की ओर से श्री रंजीत गौड़ एडवोकेट एवम् प्रतिवादनी की ओर से श्री आई० एच० नकवी एडवोकेट की उपस्थिति में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वितीय, सिविल जज (सी० डिवी०) मुरादाबाद के समक्ष दिनांक 28-02-2020 को पेश होने पर एतद्द्वारा आदिष्ट किया जाता है कि –

आदेश

दावा वादनी वास्ते घोषणात्मक आज्ञप्ति विरुद्ध प्रतिवादनी सव्यय आज्ञप्त किया जाता है।

जरिये घोषणात्मक आज्ञप्ति यह घोषणा विरुद्ध प्रतिवादनी की जाती है कि वाद पत्र के परिशिष्ट-क में वर्णित सम्पत्ति की वादनी मौखिक हिबा दिनांकित 12-08-2019 जो प्रतिवादिनी जिसकी यादाश्त दिनांक 19-08-2019 को निष्पादित के आधार पर स्वामिनी, काबिज है तथा वादनी तदनुसार सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा पाने की अधिकारिणी है। इस निर्णय का कोई घोषणात्मक प्रभाव किसी तृतीय व्यक्ति के विधिक अधिकारों पर नहीं होगा।

CIVIL JUDGE
(S.D.) J Moradabad 02/03/2020

आज यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक द्वारा दिनांक 02 माह 03 सन 2020 को तैयार कर जारी की गई। शामिल मिसल

CIVIL JUDGE
(S.D.) J Moradabad 2/03/2020

31-05
2

वाद के खर्चे

वादिनी		प्रतिवादनी	
न्याय शुल्क -	200=00		
प्रार्थना-पत्र -	05=00	प्रार्थना-पत्र -	00=00
शपथ पत्र -	30=00	शपथपत्र -	20=00
तलबाना -	05=00	वकालतनामा -	02=00
वकालतनामा -	02=00		
योग	242=00		22=00

वाद लिपिक 2-3-2020
न्याया० सिविल जज
(सी० डि०) मुरादाबाद

हस्ताक्षर वादिनी
अधिवक्ता

हस्ताक्षर
प्रतिवादनी/अधिवक्ता

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Photo stat cop by Tech
Com by - Bhoopsingh
words - 300

Rajeev
प्रधान प्रतिलिपिक
02-3-2020
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

१

1

पूरब:- मनोहर पुर रोड ।

पश्चिम:- आराजी श्री परवेज ।

उत्तर:- दिल्ली रोड ।

दक्षिण:- आराजी शादाब कुरैशी ।

Scanned with CamScanner

5-3-2020

CH·RHO UPM005003660/2019

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद

मूलवाद सं० – 1544/2019

कु० नीलोफर

बनाम

श्रीमती खदीजा हसन

नकल – आदेश दि० 28/2/2020

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग • जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

30-05
1

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी:-अभय प्रताप सिंह-द्वितीय, (पी0सी0एस0-जे0)

मूलवाद सं0-1544/2019

सी0एन0आर0 सं0-यू0पी0एम0ओ0-05-003660/2019

कु0 नीलोफर उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व0 अहमद हसन निवासिनी एच 15-16 लाजपत नगर, मुरादाबाद।

...वादिनी।

बनाम

श्रीमती खदीजा हसन उर्फ लगभग 40 वर्ष पत्नी श्री वसीम अहमद खान निवासिनी एच 15-16 लाजपतनगर, मुरादाबाद।

.................................प्रतिवादिनी।

-:निर्णय:-

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा प्रतिवादिनी के विरुद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र के कथन इस प्रकार है कि प्रतिवादिनी भूमि खसरा सं0-71 रकबई 0.008 है0 बराबर 80 वर्ग मीटर व खसरा सं0-72 रकबई 0.953 है0 बराबर 9530 वर्गमीटर व खसरा सं0-74 रकबई 0.509 है0 बराबर 5090 वर्गमीटर व खसरा सं0-73 रकबई सं0-0.324 है0 बराबर 3240 वर्गमीटर कुल रकबई 1.794 है0 बराबर 17940 वर्ग मीटर स्थित ग्राम मनोहरपुर दिल्ली रोड मुरादाबाद की स्वामिनी बजरिये हिबा जुबानी दिनांक 21.12.2013 से चली आती थी। कुल भूमि की चतुर्सीमायें वादपत्र के अन्त में परिशिष्ट-क में वर्णित है। उक्त भूमि आवासीय है तथा उसके संबंध में धारा-143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत घोषणा आबादी हो चुकी है। उपरोक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि पर बाउण्डरी वाल निर्मित करायी तथा एक कमरा मय बाथरूम आदि रिहाईश हेतु निर्मित कराया गया। उक्त हिबा जुबानी की तस्दीक प्रतिवादिनी द्वारा योजित मूलवाद सं0-34/2016 खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद खान में निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2016 द्वारा हो चुकी है प्रतिवादिनी द्वारा उक्त सम्पत्ति का हिबा जुबानी दिनांक 12.08.2019 को रूबरू गवाहान वादिनी को कर दिया गया था तथा वादिनी द्वारा उसे कबूल व मंजूर कर लिया गया और प्रतिवादिनी द्वारा उक्त सम्पत्ति परिशिष्ट-क का कब्जा व दखल दिनांक 12.08.2019 को ही वादिनी को प्रदान कर दिया गया। हिबा दिनांक 12.08.2019 की एक याददाश्त तहरीर भी दिनांक 19.08.2019 को प्रतिवादिनी द्व

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

ारा निष्पादित की गयी, जिसके द्वारा हिबा दिनांक 12.08.2019 तथा वादिनी के स्वामित्व व अधिकार को स्वीकार किया। वादिनी चूंकि परिस्थितिवश प्रतिवादिनी के साथ ही रहती है तथा आपस में कोई मनमुटाव भी नहीं है, जिस कारण वादिनी द्वारा दिनांक 06.10.2019 को प्रतिवादिनी से एक शपथपत्र हस्ताक्षरित करने का निवेदन किया, जिससे वादिनी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करा सके। प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी के उक्त कथन से खिन्न होकर यह कथन किया गया कि उसने हिबा किया था, मगर उसके शौहर वसीम अहमद खान उक्त हिबा जुबानी से खुश नहीं है, लिहाजा व दिनांक 12.08.2019 को नहीं मानती तथा प्रतिवादिनी भी शान्तिपूर्वक जैसे रह रही है, रहती रहे। वादिनी का प्रतिवादिनी से बेहद लगाव व मोहब्बत है, इसी कारण प्रतिवादिनी को शादी के बाद में प्रतिवादिनी द्वारा ही जिद करके वादिनी को अपने साथ रहने पर विवश किया गया था। वादिनी द्वारा प्रतिवादिनी को याददाश्त दिनांक 19.08.2019 दिखाई गयी, जिसमें उसकी स्वीकृति उक्त सम्पत्ति को हिबा करने की अंकित है, जिस पर प्रतिवादिनी वादिनी से अत्यन्त नाराज होकर तीव्र स्वर में कहने लगी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और यदि प्रतिवादिनी के संग नहीं रहना है, तो घर से बाहर चली जावे। वादिनी के काफी समझाने पर भी प्रतिवादिनी सुनवा नहीं हुयी तथा यह कथन करने लगी कि उसने कोई हिबा वादी को नहीं किया तथा वादिनी जो चाहे कर ले। वादिनी द्वारा प्रतिवादिनी के शौहर वसीम अहमद खान जो वादिनी के बहनोई है, से निवेदन करने पर उनके द्वारा यह कथन किया गया कि यह तुम दोनों बहनों के आपस का मामला है, आपस में ही तय करो वह कुछ नहीं कर सकता। प्रतिवादिनी किसी भी प्रकार सुनने को तैयार नहीं है तथा लगातार हिबा दिनांक 12.08.2019 से इन्कार कर रही है, उपरोक्त परिस्थितियों में वादिनी के पास प्रस्तुत वाद योजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः उद्घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित की जाये कि वादिनी सम्पत्ति परिशिष्ट—क के तन्हा मालिक, काबिज व दखील बजरिये हिबा जुबानी दिनांक 12.08.2019 को निष्पादित हुयी है तथा प्रतिवादिनी का कोई अधिकार 12.08.2019 के पश्चात से वादग्रस्त सम्पत्ति से नहीं है तथा वादिनी इच्छानुसार अपना नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने की अधिकारी है।

प्रतिवादनी द्वारा प्रतिवादपत्र कागज सं0—12क/1 ता 12क/2 के माध्यम से कथन किया गया है कि वादिनी को कोई वाद कारण प्रतिवादिनी पर उत्तरदाता के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ तथा इसके विरुद्ध समस्त कथन वादिनी गलत व झूठे हैं। प्रतिवादिनी द्वारा कभी—भी हिबा दिनांक 12.08.2019 से इन्कार नहीं किया गया, न ही याददाश्त दिनांक 19.08.2019 से इन्कार है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादिनी के पति श्री वसीम अहमद कारोबारी परेशानी में व्यस्त थे, तथा प्रतिवादिनी द्वारा उनको अपने द्वारा किये गये हिबा जुबानी के पक्ष में बताने पर उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उत्तरदाता को क्या जल्दी सम्पत्ति हस्तांतरित करने की है, जबकि पैसे का कोई लेन—देन उक्त सम्पत्ति की बाबत नहीं है। प्रतिवादिनी के पति के उक्त कथन के कारण ही उत्तरदाता द्वारा वादिनी को कुछ समय रुकने के लिए कहा गया, जिससे वह

Scanned with CamScanner

अपने पति की परेशान समझ सके। उल्लेखनीय है कि वादिनी–उत्तरदाता की सगी बहन है और प्रतिवादिनी उससे अत्याधिक स्नेह रखती है तथा उत्तरदाता का विवाह होने के पश्चात से ही उत्तरदाता उसे अपने साथ रहने हेतु लाई थी, तथा उत्तरदाता का कोई कारण वादिनी से द्वेष का नहीं है। उत्तरदाता के पति उस समय अपने कारोबार की बाबत परेशानी में थे, तथा उनके द्वारा जब यह कथन किया गया कि उसे हिबा करने की क्या जल्दी है, तो उत्तरदाता द्वारा यह सोचकर कि शायद उसके पति वादिनी को हिबा करने से नाराज हो गये हैं, इसलिए किसी परेशानी में हैं, वादिनी को थोड़ा समय रूकने हेतु कहा गया, जिसका गलत मतलब निकालकर वादिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादिनी द्वारा याददाश्त हिबा जुबानी से कभी–भी इन्कार नहीं किया गया, केवल दस्तावेजों के निष्पादन हेतु वादिनी से रूकने का कथन किया गया है। दावा वादिनी कतई मैलाफाईड है तथा हर दशा में निरस्त होने योग्य है।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 03.12.2019 को निम्नलिखित वाद–बिन्दु विरचित किए गए हैं–

1. **क्या प्रतिवादिनी वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादग्रस्त सम्पत्ति की स्वामिनी बजरिए हिबा जुबानी दिनांक 21.12.2013 से चली आती थी?**
2. **क्या वादिनी वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवादिनी के विरुद्ध यावित घोषणात्मक आज्ञप्ति का अनुतोष प्राप्त कर पाने के अधिकारी हैं?**
3. **क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?**
4. **क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

वादिनी द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य पी0डब्लू–1 स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–17क/1 ता 17क/4, दाखिल कर सशपथ परीक्षित कराया है।

वादिनी द्वारा अपने समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 6ग से असल याददाश्त हिबा जुबानी दिनांक 19.08.2019, फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी मुरादाबाद दिनांक 10.03.2015, फोटो स्टेट सत्यप्रतिलिपि उप जिलाधिकारी मुरादाबाद दिनांक 28.12.2007, सूची 15ग से सत्य प्रतिलिपि हिबानामा दिनांक 21.12.2013, सत्य प्रतिलिपि समझौतानामा, सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांक 13.04.2016, सूची 19ग से सत्य प्रति विक्रयपत्र दिनांक 15.09.2016, सत्य प्रति विक्रयपत्र दिनांक 23.09.1995, सत्य प्रति विक्रयपत्र दिनांक 29.07.1995, सत्य प्रतिलिपि विक्रयपत्र दिनांक 29.07.1995, सूची 25ग से आदेश उप जिलाधिकारी मुरादाबाद वाद सं0–32/2014 दिनांक 10.03.2015, प्रमाणित प्रति आदेश उप जिलाधिकारी मुरादाबाद वाद सं0–22/2007 अन्तर्गत धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम दिनांक 28.12.2017 दाखिल किया है।

प्रतिवादिनी ने डी0डब्लू–1 के रूप में स्वयं का मौखिक साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 18क/1 ता 18क/3 दाखिल कर सशपथ परीक्षित कराया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सविस्तार सुना व पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

Scanned with CamScanner

रकबई 0.648है0 के 1/2 भाग के जो ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद में स्थित है में बजरिये चार किता बैनामा जात पहला इकरारी उबैदुल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिल, नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 06.01.1995 जिसकी रजिस्टरी पुस्तक सं0 1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 113/130 पर क्रम सं0 5028 व दिनांक 29.07.1995 को हुई है, तथा दूसरा बैनामा इकरारी उबैल उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद दिनांक 06.01.1995 जिसकी रजिस्टरी पुस्तक सं0 1 के जिल्द 1057 के पृष्ठ 71 ता 88 पर क्रम सं0 6238 पर दिनांक 23.09.1995 को हुयी तथा तृतीय बैनामा इकरारी उबैल उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद व नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 09.01.1995 जिसकी रजिस्टरी बही नं0 1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 87/112 व क्रम सं. 5027 पर दिनांक 29.07.1995 को हुई है तथा चतुर्थ बैनामा इकरारी कैप्टन अमिताभ प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश व श्रीमती सरोज पत्नी ओमप्रकाश व श्री आलोक कुमार पुत्र राज कुमार दिनांक 02.09.2013 से रजिस्टरी बही नं0 1 के जिल्द 8542 के पृष्ठ 263/298 पर क्रमांक 8131 पर दिनांक 02.09.2013 को हुई है तथा जो अकृषकीय भूमि है से मालिक काबिज व दखल चला आता था। पत्रावली पर सूची 19ग से उपरोक्त वर्णित बैनामों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दाखिल है। सूची 25ग से दाखिल आदेश दिनांक 28.12.2007 द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं0 22/2007 अंतर्गत धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम तथा आदेश दिनांक 10.03. 2015 द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं0 32/2014 अंतर्गत धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह विदित होता है कि गाटा सं0 71, 72, 73, व 74 अकृषीक घोषित हो चुकी हैं। वसीम अहमद खान द्वारा दिनांक 21.12.2013 को उपरोक्त गाटा संख्याओं का हिबा जुबानी श्रीमती खदीजा हसन का कर दिया जिसे श्रीमती खदीजा हसन ने कबूल व मंजूर कर लिया तथा उक्त हिबा जुबानी के संबंध में एक तहरीर याददाश्त दिनांक 31.12.2013 तहरीर हुयी। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि श्रीमती खदीजा हसन द्वारा न्यायालय सिविल (सी0डि0), मुरादाबाद में मूलवाद सं0 34/2016 श्रीमती खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद खान हिबा जुबानी दिनांक 21.12.2013 के आधार पर उपरोक्त गाटा संख्याओं के बाबत स्वामिनी घोषित किये जाने हेतु योजित किया है। उक्त दावा श्रीमती खदीजा हसन तथा वसीम अहमद द्वारा दाखिल समझौता पत्र के आधार पर दिनांक 12. 04.2016 को निर्णीत हुआ। इस प्रकार यह साबित होता है कि प्रतिवादिनी वादपत्र में वर्णित आधारों पर वादग्रस्त सम्पत्ति की स्वामिनी बजरिए हिबा जुबानी दिनांक 21.12. 2013 से चली आती थी। **तदनुसार वाद बिन्दु सं0 1 निर्णीत किया जाता है।**

प्रतिवादनी श्रीमती खदीजा हसन द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का हिबा जुबानी वादनी के पक्ष में दिनांक 12.08.2019 को रूबरू गवाहन कर दिया, जिसे वादनी ने उसी समय कबूल व मंजूर कर लिया और कब्जा दखल भी प्राप्त कर लिया। जिस बाबत एक तहरीर याददाश्त दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित की गयी जो पत्रावली पर प्रपत्र सं0 7ग के रूप में दाखिल है। प्रतिवादनी ने भी अपने प्रतिवादपत्र में वादनी के पक्ष में

वादग्रस्त सम्पत्ति का हिबा जुबानी दिनांक 12.08.2019 को किये जाने तथा उक्त के बाबत यादादाश्त तहरीर दिनांक 19.08.2019 को तहरीर किये जाने को स्वीकार किया है। इस संबंध में उभयपक्ष के मौखिक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वादिनी द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य पी0डब्लू0–1 स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–17क/1 ता 17क/4, दाखिल कर सशपथ परीक्षित कराया है तथा अपने मुख्य साक्ष्य शपथपत्र के माध्यम से वादपत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं वादग्रस्त सम्पत्ति की स्वामी बजरिये हिबा इकरारी खदीजा हसन से हूँ। यह हिबा उन्होंने मुझे दिनांक 12.08.2019 में किया था। इसकी यादादाश्त भी लिखी गयी थी। गवाह ने कागज सं0–7 में देखकर कहा कि यह वही यादादाश्त है, जो खदीजा हसन ने दिनांक 19.08.2019 को मुझे लिखी है। इस पर खदीजा हसन के हस्ताक्षर हैं तथा बतौर गवाह वसीम अहमद खान व काशिफ रजा खान के हस्ताक्षर हैं। यह यादादाश्त संजीव गौड़ एडवोकेट द्वारा तैयार की गयी थी। खदीजा हसन वादग्रस्त सम्पत्ति की मालिक बजरिये डिक्री मुकदमा सं0 34/2016 से है। खदीजा हसन की मिल्कियत के कागज पत्रावली पर दाखिल किये हैं। 16ग/1 ता 16ग/10 के रूप में हैं। यह कहना गलत है कि खदीजा हसन ने मुझे कोई हिबा न किया हो। यह कहना भी गलत है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर मेरा कब्जा न हो और मैंने झूठा मुकदमा किया हो।

इसी अनुक्रम में प्रतिवादिनी डी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मैंने कभी हिबा दिनांक 12.08.2019 से इन्कार किया हो। कागज सं0–7ग यादादाश्त हिबा जुबानी दिनांक 12.08.2019 है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाही में मेरे शौहर श्री वसीम अहमद के भी हस्ताक्षर हैं। हिबा जुबानी से मैंने कभी इन्कार नहीं किया। वादिनी को केवल कुछ समय रुकने के लिये कहा था, क्योंकि मेरे पति श्री वसीम अहमद व्यापारिक परिस्थितियों में उलझे हुये थे। यह कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा वादिनी को न दिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि प्रतिवादनी श्रीमती खदीजा हसन पत्नी श्री वसीम अहमद खान निवासनी एच–15, 16 लाजपत नगर, मुरादाबाद की हूं जो कि भूमि खसरा सं0 71 रकबई 0.008हे0 बराबर 80 मीटर व खसरा सं0–72 रकबई 0.953 हे0 बराबर 9530 वर्गमीटर व खसरा नं0 74 रकबई 0.509 हे0 बराबर 5090 वर्गमीटर व खसरा नं0 73 रकबई 0.324 हे0 रकबई 3240 वर्गमीटर कुल रकबई 1.794हे0 बराबर 17940 वर्गमीटर स्थित ग्राम मनोहर पुर दिल्ली रोड, तहसील व जिला मुरादाबाद जिसके संबंध में धारा–143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत घोषणा आबादी हो चुकी है, की स्वामिनी बजरिये हिबा श्री वसीम अहमद खान पुत्र स्व0 हाजी तसलीम अहमद खान दिनांक 21.12.2013 जिसकी यादादाश्त दिनांक 31.12.2013 को श्री वसीम अहमद खान द्वारा निष्पादित की गयी और जिसकी तसदीक वाद सं0 34/16 श्रीमती खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2016 न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद से हो चुकी है, से चली आती है तथा उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों अर्थात वादग्रस्त सम्पत्ति जिसे वादपत्र के परिशिष्ट–क में वर्णित किया गया है, का हिबा

Scanned with CamScanner

30-05
9

मुंशी दिनांक 12.08.2019 को रूबरू गवाहान वादिनी को कर दिया गया था तथा वादिनी द्वारा उसे कबूल व मंजूर कर लिया गया और प्रतिवादिनी द्वारा उक्त सम्पत्ति परिशिष्ट–क का कब्जा व दखल दिनांक 12.08.2019 को ही वादिनी को प्रदान कर दिया गया। हिबा दिनांक 12.08.2019 की एक याददाश्त तहरीर भी दिनांक 19.08.2019 को प्रतिवादिनी द्वारा निष्पादित की गयी, जिसके द्वारा हिबा दिनांक 12.08.2019 तथा वादिनी के स्वामित्व व अधिकार को स्वीकार किया। इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादनी द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह निष्कर्षित होता है कि वादनी वांछित अनुतोष प्राप्त कर पाने की अधिकारणी है। **तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 2 निर्णीत किया जाता है।**

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3 व 4

वाद बिन्दु सं0–3 व 4 वाद के मूल्यांकन तथा न्यायशुल्क से संबंधित है, जिनका निस्तारण आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा किया जा चुका है, जो निर्णय का अंश होगा।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के उपरान्त इस न्यायालय का यह मत है कि दावा वादनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

दावा वादनी वास्ते घोषणात्मक आज्ञप्ति विरूद्ध प्रतिवादनी सव्यय आज्ञप्त किया जाता है।

जरिये घोषणात्मक आज्ञप्ति यह घोषणा विरूद्ध प्रतिवादनी की जाती है कि वादपत्र के परिशिष्ट–क में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति, की वादनी मौखिक हिबा दिनांकित 12.08.2019 द्वारा प्रतिवादिनी जिसकी याददाश्त दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित हुयी है, के आधार पर स्वामिनी, काबिज है तथा वादनी तद्नुसार अपना नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा पाने की अधिकारणी है।

इस निर्णय का कोई घोषणात्मक प्रभाव किसी तृतीय व्यक्ति के विधिक अधिकारों पर नहीं होगा।

28/02/2020

दिनांक:–28.02.2020

(अभय प्रताप सिंह–द्वितीय)
सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद
यू0पी0 जे0आ0 कोड–1815

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

28/02/2020

दिनांक:–28.02.2020

(अभय प्रताप सिंह–द्वितीय)
सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।
यू0पी0 जे0आ0 कोड–1815

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
न्यायालय, मुरादाबाद

Photo State Cop by Tech
Com by – Bhupinder
words – 1400

07-3-2020
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग,
न्यायालय मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

12
5-3-2020

CH·RHo UPMO05003660/2019

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद

मूलवाद सं०- 1544/2019

कु० नीलोफर

बनाम

श्रीमति खदीजा हसन

नकल - वादपत्र

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
सत्यमेव जयते
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(सीनियर डिवीजन) मुरादाबाद ।

वाद संख्या- 1544 सन 2019

कु० नीलोफर उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व० अहमद हसन निवासनी एच-15-16 लाजपत नगर, मुरादाबाद . . . . .वादिनी

बनाम

श्रीमती खदीजा हसन उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी श्री वसीम अहमद खान निवासनी एच-15-16, लाजपतनगर, मुरादाबाद . . . . .प्रतिवादनी

श्रीमान जी,

वादनी निम्नलिखित निवेदन करती है:-

1:- यह कि प्रतिवादनी भूमि खसरा नं०-71 रकबई 0.008 है० बराबर 80 वर्ग मीटर व खसरा नं०-72 रकबई 0.953 है० बराबर 9530 वर्ग मीटर व खसरा नं०-74 रकबई 0.509 है० बराबर 5090 वर्ग मीटर व खसरा नं०-73 रकबई 0.324 है० बराबर 3240 वर्ग मीटर कुल रकबई 1.794 है० बराबर 17940 वर्ग मीटर स्थित ग्राम मनोहरपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद की स्वामिनी जरिये हिबा जुबानी दिनांक 21.12.2013 से चली आती थी, कुल भूमि की चर्तुसीमाये वादपत्र के अन्त में परिशिष्ट"क" में वर्णित है ।

2:- यह कि उक्त भूमि आवासीय है, तथा उसके सम्बन्ध में धारा-143 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत घोषणा आबादी हो चुकी है ।

3:- यह कि उपरोक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादनी द्वारा उक्त भूमि पर बाउन्ड्री वाल निर्मित कराई तथा एक कमरा मय बाथरूम आदि रिहाईश हेतु निर्मित कराया गया ।

4:- यह कि उक्त हिबा जुबानी की तसदीक प्रतिवादनी द्वारा योजित वाद संख्या-34/2016 खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद खान में निर्णय

Neelofar

---2पर

व डिक्री दिनांक 13.4.16 द्वारा हो चुकी है ।

5:- यह कि प्रतिवादनी द्वारा उक्त सम्पत्ति का हिबा बुबानी दिनांक 12.8.2019 को रूबरू गवाहान वादनी को कर दिया गया था तथा वादनी द्वारा उसे कबूल व मन्जूर कर लिया गया और प्रतिवादनी द्वारा उक्त सम्पत्ति परिशिष्टों का कब्जा व दखल दिनांक 12.8.19 को ही वादनी को प्रदान कर दिया गया ।

6:- यह कि हिबा दिनांक 12.8.19 की एक याददाश्त तहरीर भी दिनांक 19.8.19 को प्रतिवादनी द्वारा निष्पादित की गयी जिसके द्वारा हिबा दिनांक 12.8.19 तथा वादनी के स्वामित्व व अधिकार को स्वीकार किया ।

7:- यह कि वादनी चूँकि परिस्थितिवश प्रतिवादनी के साथ ही रहती है, तथा आपस में कोई मनमुटाव भी नहीं है, जिस कारण वादनी द्वारा दिनांक 06.10.2019 को प्रतिवादनी से एक शपथपत्र हस्ताक्षरित करने का निवेदन किया जिसको वादनी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करा सके ।

8:- यह कि प्रतिवादनी द्वारा वादनी के उक्त कथन से खिन्न होकर यह भ्रम किया गया कि उसने हिबा किया था मगर उसके शौहर वसीम अहमद खान उक्त हिबा बुबानी से खुश नहीं है, लिहाजा वह दिनांक 12.8.19 को नहीं मानती, तथा प्रतिवादनी भी शान्तिपूर्वक जैसे रह रही है, रहती रहे ।

9:- यह कि वादनी का प्रतिवादी से बेहद लगाव व मौहब्बत है, इसी कारण प्रतिवादनी को शादी के बाद में प्रतिवादनी द्वारा ही जिद करके वादनी को अपने साथ रहने पर विवश किया गया था ।

Neelofar

...ऊपर

Scanned with CamScanner

10:- यह कि वादनी द्वारा प्रतिवादनी को याददाश्त दिनांक 19.8.19 दिखाई गयी जिसमें उसकी स्वीकृति उक्त सम्पत्ति को हिबा करने की अंकित है, जिस पर प्रतिवादनी वादनी से अत्यन्त नाराज होकर तीव्र स्वर में कहने लगी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और यदि प्रतिवादनी को संग नहीं रहना है, तो घर से बाहर चली जावे ।

11:- यह कि वादनी के काफी समझाने पर भी प्रतिवादनी सुनवा नहीं हुई तथा यह कथन करने लगी कि उसने कोई हिबा वादी को नहीं किया तथा वादनी से जो चाहे कर लें ।

12:- यह कि वादनी द्वारा प्रतिवादनी के शौहर वसीम अहमद खान जो वादनी के बहनोई हैं, से निवेदन करने पर उनके द्वारा यह कथन किया गया कि यह तुम दोनो बहनो के आपस का मामला है आपस में ही तय करो यह कुछ नहीं कर सकता ।

13:- यह कि प्रतिवादनी किसी भी प्रकार सुनने को तैयार नहीं है, तथा लगातार हिबा दिनांक 12.8.19 से इंकार कर रही है, उपरोक्त परिस्थितियों में वादनी के पास प्रस्तुत वाद योजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है ।

14:- यह कि वादनी को प्रस्तुत वाद का कारण सर्वप्रथम दिनांक 12.8.19 को प्रतिवादनी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का हिबा वादनी के पक्ष में करने पर बाबत् दिनांक 19.8.19 को याददाश्त हिबा दिनांक 12.8.19 को निष्पादित करने पर बाबत् दिनांक 6.10.19 को हिबा दिनांक 12.8.19 से इंकार करने पर बाबत् हर रोज अन्दर हदूद इलाका अख्तियारे समात अदालत हाजा उत्पन्न हुआ और इस माननीय न्यायालय को वाद को सुनने व तय करने का अधिकार प्राप्त है ।

Neelofar

15:- यह कि वाद का मुल्यांकन अपर मुंबलिग 60,00,000/-रूपये अनुमानित-कीमत सम्पत्ति पर किया जाकर निर्धारित न्यायशुल्क अदा किया जाता है ।

16:- यह कि वादनी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थनी है:-

[अ] यह कि बजरिये डिक्री उदघोषणा घोषणा इस आशय की जारी की जाये कि वादनी सम्पत्ति परिशिष्ट[क] के तन्हा मालिक, काबिज व दखील बजरिये हिबा जुबानी दिनांकित 12-8-19 प्रतिवादनी जिसकी यादादाश्त दिनांक 19-8-19 को निष्पादित हुई है, तथा प्रतिवादनी का कोई अधिकार 12-8-19 के पश्चात से वादग्रस्त सम्पत्ति से नहीं है ।

[ब] यह कि खर्चा मुकदमा वादनी को प्रतिवादनी से दिलाया जाये ।

[स] यह कि अन्य अनुतोष जो राय अदालत में वादनी के हित में हो तथा वाद की परिस्थितियाँ अनुमत करे बरखिलाफ प्रतिवादनी प्रदान किया जाये ।

Amendment carried under order dated 25/2/2020

25/2/2020

परिशिष्ट"क"

विवरण सम्पत्ति खसरा नं0-71,72,73,74 कुल चार किते कुल रकबा 1.794 है0 बराबर 17940 वर्ग मीटर जो आबादी घोषित है ।

पूरब:-मनोहरपुर रोड ।
पश्चिम:-आराजी श्री परवेज ।
उत्तर:-दिल्ली रोड ।
दक्षिण:-आराजी शादाब कुरैशी ।

मैं वादनी वादपत्र का पैरा नं0-1 ता 13 को अपने निजी ज्ञान में तथा पैरा नं0-14,15,16 को प्राप्त विधिक परामर्श के आधार पर सच व सही होना तसदीक करती हूँ । तसदीक आज बतारीख 6/11/19 बमुकाम मुरादाबाद की गई ।

वादनी
Neelofar
कु0 नीलोफर
द्वारा
अधिवक्ता

SANJEEV GAUR Advocate
Reg. No. 618/97 Chamber No.-5
Resi.- Deen Dayal Nagar Phase
Moradabad

Neelofar
Photo Stat copy by Tech Com by - Bhagshow
words - 800

7-3-2020

39
15-11-15

C.N.R. No UPMD050000552016

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)
मुरादाबाद

OS No 34/16

खदीजा हसन

बनाम

वसीम अहमद

नकल — हिबानामा कागज सं० 7क

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग ... मुरादाबाद

34/16

॥ याददाश्त हिबा जुबानी ॥

मैं कि शमीम अहमद खान पुत्र हाजी तसलीम अहमद खान निवासी एच०न० 118-119 लाजपत नगर, मुरादाबाद का हूँ, जो कि आराजी खसरा नं० 61 व 62 जिसका नया नम्बर 74 है ,व खसरा न०58,59,60,64 व 65 जिसका नया नम्बर 72 है, व खसरा न०57 जिसका नया नम्बर 71 है,कुल रकबई 3·58 20 , व खसरा न० 73 रकबई 0·648 हे0 के 1/2 भाग के जो ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद में स्थित है मैं बजरिये चार किता बयनामेजात पहला इकरारी उबेदुल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद , नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 6-1-95 जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक सं० 1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 113/130 पर क्रम सं०5028 पर दिनांक - 29-7-95 को हुई है, तथा दूसरा बयनामा इकरारी उबेद उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद व नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 6-1-95 जिसकी रजिस्टरी पुस्तक सं० 1 के जिल्द 1057 के पृष्ठ 71 ता 88 पर क्रम सं०6236 पर दिनांक 23-9-95 को हुई है,तथा तृतीय बयनामा इकरारी उबेद उल रहमान पुत्र हाजी अब्दुल वाजिद व नूर आलम पुत्र चौधरी अब्दुल खालिक व अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल वाजिद दिनांक 9-1-95जिसकी रजिस्टरी बही नं० 1 के खण्ड 998 के पृष्ठ 87/112 पर क्रम सं०5027 पर दिनांक 29-7-95 को हुई है तथा चतुर्थ बयनामा इकरारी कैप्टन अमिताभ प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती सरोज पत्नी ओमप्रकाश व श्री आलोक कुमार पुत्र राज कुमार दिनांक 2-9-13 से रजिस्टरी बही न० 1 के जिल्द 8542 के पृष्ठ263/298 पर क्रमांक -8131 पर दिनांक 2-9-13 को हुई है तथा जो अहमकीय भूमि है से मालिक काबिज व दाखिल चला आता था जो कि मेरी दो पत्नियाँ श्रीमती शगुफ्ता व श्रीमती हादीजा हसन है तथा पहली पत्नी से तीन पुत्रियाँ फरहा खान, सदफ खान व फरीशा खान तथा एक पुत्र समीर अहमद खान है तथा बड़ी पुत्री फरहा खान का निकाह हो चुका है तथा मझली पुत्री सदफ खान का भी निकाह होने वाला है , तथा दूसरी पत्नी से दो सन्ताने शाद अहमद खान उम्र 4 साल व एक पुत्री वानिया खान उम्र 3 साल है, जो कि मैं अपनी पहली पत्नी श्रीमती शगुफ्ता से उत्पन्न पुत्रियों व पुत्र के भविष्य हेतु उचित प्रबन्ध करचुका हूँ तथा मेरी पहली पत्नी तथा सन्तानो व दूसरी पत्नी तथा संतानो में भी अत्यन्त मोहब्बत है। अब तक दूसरी पत्नी श्रीमती हादीजा व उनकी संतानो हेतु कोई प्रबन्ध किसी प्रकार का मैंने नही किया है जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। श्रीमती हादीजा की [illegible] व सेवा करने से मैं

2--

बहुत प्रसन्न था तथा हूँ, और चाहता था कि उनके नाम कोई सम्पत्ति कर दूँ। लिहाजा दिनांक 21-12-2013 को मैंने अपनी पुत्री दानिया की साल-गिरह के दिन उपरोक्त सम्पत्तियों का हिबा जुबानी अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती खादीजा हसन को कर दिया था जिसको श्रीमती खादीजा हसन द्वारा उसी समय कबूल व मन्जूर कर लिया गया था, तथा कब्जा भी मैंने अपनी उक्त सम्पत्ति का उसी दिन श्रीमती खादीजा हसन को दे दिया था लिहाजा दिनांक 21-12-13 से मेरी दूसरी पत्नी श्रीमती खादीजा हसन ही उपरोक्त सम्पत्तियों जिनका विवरण इस याददाश्त के शुरू में तहरीर है, की तन्हा मालिक काबिज व दाखिल है, तथा किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध उक्त सम्पत्तियों से नहीं है, तथा श्रीमती खादीजा हसनको उक्त भूमियों को हस्तान्तरित करने आदि के भी समस्त अधिकार प्राप्त हैं और रहेंगे।

लिहाजा यह तहरीर बतौर यादगाश्त हिबा दिनांक - 21-12-2013 लिख दी कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आये। फक्त।

अहमद [signature]

गवाह [signature]
Mohd. Mohsin
S/o H. Mursaleen
R/o [illegible],
Moradabad.

गवाह [signature]
Aftab Husain
S/o Abdul Hussain
Darwaza Street
Moradabad.

यह तहरीर यादगाश्त हिबा बइकरार मुकिर आज बतारीख 31-12-2013 को बमुकाम मुरादाबाद बामआवरा श्री सैयद मोहम्मद नकवी एडवोकेट के राकेश भटनागर ने दाखिल किया। [signature] 31/12/2013

Photostate copy by Tech Cam P. - By - [illegible]
wt - 300 [signature]

[signature] 19/11/19
प्रतिलिपिक
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

4c
15-11-15

C.N.R. NO UPMO050000652016

न्यायालय सिविल जज सी० डि० मुरादाबाद

मूलवाद संख्या 34/2016

श्रीमती खदीजा हसन

बनाम

श्री वसीम अहमद

नकल — निर्णय दि० 13-4-16

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग ... न्यायालय, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), मुरादाबाद।

उपस्थितः–अमित कुमार पाण्डे, पी.सी.एस.(जे.)

मूल वाद संख्या–34/2016

श्रीमती खदीजा हसन आयु लगभग 36 वर्ष पत्नी श्री वसीम अहमद खान (प्रतिवादी) निवासिनीः–25 गोल कोठी, डिप्टी गंज, मुरादाबाद।

.....वादिनी।

बनाम

श्री वसीम अहमद खान आयु लगभग 58 वर्ष पुत्र हाजी तसलीम अहमद खान निवासीः–118–119, लाजपत नगर, मुरादाबाद।

.....प्रतिवादी।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित परिशिष्ट "क" की स्वामिनी घोषित किये जाने वास्ते योजित किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी परिशिष्ट "क" में वर्णित भूमि खसरा संख्या– 61 तथा 62, जिसका नया नम्बर–74 है। खसरा संख्या–58, 59, 60, 64 तथा 65, जिसका नया नम्बर–72 है। खसरा संख्या–57 जिसका नया नम्बर–71 है। कुल रकबा 3.58 एकड़ एवं भूमि खसरा संख्या–73 रकबा 0.648 है. के 1/2 भाग का जरिए चार किता बैनामा मालिक, काबिज है। प्रतिवादी वादिनी का पति है। प्रतिवादी ने वर्ष 2007 में वादिनी से दूसरा विवाह किया था, जिससे वादिनी को एक पुत्र एवं पुत्री हुए। प्रतिवादी ने दिनांक–21.12.2013 को वादिनी की पुत्री बेबी वानिया खान के जन्म दिन के अवसर पर प्रश्नगत भूमियों का मौखिक हिबा वादिनी के पक्ष में कर दिया था, जिसे वादिनी ने कबूल व मन्जूर कर लिया था और उसी समय प्रतिवादी ने विवादित भूमि का वास्तविक कब्जा वादिनी को दे दिया था। इस प्रकार विवादित भूमि की स्वामिनी वादिनी हो गयी है। उक्त मौखिक हिबा के सम्बन्ध में तहरीर बतौर याद्दाश्त हिबा जुबानी वादिनी के पक्ष में निष्पादित करके वादिनी को दे दिया था। प्रश्नगत भूमियां

Scanned with CamScanner

काफी वर्षों पूर्व अकृषक भूमियां घोषित की जा चुकी हैं। कुछ समय पूर्व प्रतिवादी ने वादिनी को धमकी दिया कि वह मौखिक हिबा को अस्वीकार कर देगा, जिससे यह आभास हुआ कि प्रतिवादी की मनोवृत्ति दूषित हो गयी है और वह वादिनी के पक्ष में हुए हिबा दिनांकित–21.12.2013 को अस्वीकार कर रहे हैं। अतः वाद योजित करने की आवश्यकता हुई।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र 13 क दाखिल करते हुए वादिनी के पक्ष में किये गये हिबा को स्वीकार किया गया है तथा दावा वादिनी दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना किया गया है।

उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक–02.02.2016 को न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु विरचित किये गये। वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जरिए सूची 6 ग असल याद्दाश्त हिबा जुबानी दिनांकित–21.12.2013 दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त जरिए सूची 20 ग छायाप्रति आदेश उप जिलाधिकारी, मुरादाबाद दिनांकित–21.12.2007 जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या–71, 72 तथा 74 को अकृषक भूमि घोषित किया गया, फोटो प्रति आदेश तहसीलदार, मुरादाबाद, जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या–73 पर आवासीय भूमि के आधार पर स्टेम्प लिया गया, दाखिल किया गया है। जरिए सूची 23 ग सत्य प्रतिलिपि बैनामा दाखिल किया गया है। मौखिक साक्ष्य पी.डब्लू 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादी की ओर से न तो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त उभय पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी और उभय पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष सुलहनामा कागज संख्या–18 क दाखिल किया और सुलहनामा के आधार पर वाद आज्ञप्त किये जाने की याचना किया गया।

Scanned with CamScanner

सुलहनामा न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उभय पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष सुलहनामा कागज संख्या–18 क पर अपने हस्ताक्षर किये, जिन्हें वादिनी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र सोती तथा प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक बजाज द्वारा सत्यापित किया गया। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष सुलहनामा तस्दीक किया गया।

मैंने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में वादिनी का कथन है कि प्रतिवादी प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वामी बजरिए बैनामा है तथा प्रश्नगत सम्पत्तियां अकृषक भूमि घोषित हो चुकी है। वादिनी द्वारा दाखिल दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पत्तियां अकृषक भूमि घोषित किया जा चुका है तथा प्रतिवादी जरिए बैनामा प्रश्नगत सम्पत्ति पर मालिक, स्वामी रहा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक–21.12.2013 को उसके पक्ष में प्रश्नगत भूमि का हिबा जुबानी कर दिया था, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। दौरान वाद उभय पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी और सुलहनामा कागज संख्या–18 क न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया है। पक्षकारों के मध्य सुलह हो जाने के कारण अब इस वाद में कोई विवाद शेष नहीं बचा है। अतः तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सुलहनामा कागज संख्या–18 क के प्रकाश में दावा वादिनी निर्णीत एवं आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद संख्या–34/2016 सुलहनामा कागज संख्या–18क/1 लगायत 18क/2 के प्रकाश में निर्णीत एवं आज्ञप्त किया जाता है।

सुलहनामा कागज संख्या–18क/1 लगायत 18क/2 आज्ञप्ति का अंश रहेगा।

Scanned with CamScanner

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उभय पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

Amit 13/04/16
(अमित कुमार पाण्डे),
सिविल जज (सी०डि०),
मुरादाबाद।

दिनांकः– 13.04.2016

उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

Amit 13/4/16
(अमित कुमार पाण्डे),
सिविल जज (सी०डि०),
मुरादाबाद।

दिनांकः– 13.04.2016

Photo State Copy By T.C. Comp - By - Rajendra Sharma with 600

Rajan 19/11/19
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

A-1
15-11-15

C.N.R.No

न्यायालय सिविल जज सी०डि० मुरादाबाद

मूल वाद संख्या 34/2016

श्रीमती खदीजा हसन

बनाम

वसीम अहमद

नकल – डिक्री मय [illegible]

Scanned with CamScanner

H. C. J. No-IV-20

3006

मूल वाद में आज्ञप्ति

CIVIL JUDGE
(S. D.) Moradabad

(आदेश 20 नियम 5-7)

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) स्थान मुरादाबाद जिला मुरादाबाद

सन् 201680

मूल संख्या 34/2016

संस्थित दिनांक 13-01-2016 मास

श्रीमती खदीजा हसन आयु लगभग 36 वर्ष पत्नि श्री वसीम अहमद खान (प्रतिवादी) निवासनी 25, गोल कोठी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (वादनी)

बनाम

श्री वसीम अहमद खान आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र हाजी ... अहमद खान निवासी 118-119 ... मुरादाबाद। "प्रतिवादी"

से दाखिल किए हैं।

न्यायालय का नाम सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद / वाद संख्या 34/2016 / पक्षकारों के नाम श्रीमती खदीजा हसन बनाम वसीम अहमद खान

टिप्पणी:- जो पते ऊपर लिखे गये हैं, जो उपस्थित नहीं हुए, तामील के प्रयोजन का पक्षकारों के

प्रति प्रेषक

दावा - के लिए दावा 50,00,000/- रुपये में

यह कि वादनी निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है:-

(अ) प्रतिवादी के विरुद्ध उद्घोषणा की डिक्री पारित की जाकर घोषणा इस आशय की की जावे कि वादनी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21-12-13 को वादनी के पक्ष में की गई मेहरनामा हिबा के आधार पर विवादित भूमि/संपत्ति व परिशिष्ट (क) की एकमात्र स्वामिनी तथा अध्यासनी है।

(ब) खर्चा मुकदमा वादनी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(स) अन्य कोई अनुतोष जो दावा वादनी को प्रतिवादी के विरुद्ध प्रदान किया जावे।

विवरण विवादित भूमि ... मौजा ... तहसील व जिला मुरादाबाद

...मुरादाबाद 2 (प्रशा०)/2013-04 एफ०आर०/2013-1-7-13- ... प्रेस (रामपुर/सीतापुर)।

(Cont---4)

वादी के लिए श्री शैलेन्द्र चन्द्र सोती एडवोकेट। अभिवक्ता की

और प्रतिवादी के लिए श्री दीपक बजाज एडवोकेट। अभिवक्ता

की उपस्थिति में एवं वाद के वाद अंकित कुमार पाठक सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद।

के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और पारस्परिक किया जाता है कि :--

आदेश दिनांकित 13-04-2016

मूल वाद संख्या - 34/2016 सुलहनामा कागज संख्या-18क/1 जमानत 18क/2 के आधार में निर्णीत एवं आज्ञप्त किया जाता है।

सुलहनामा कागज संख्या-18क/1 जमानत 18क/2 आज्ञप्ति का अंश रहेगा।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उभय पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

और इस वाद के खर्चे मद रुपये की राशि आज की तारीख से

ज्ञापन की तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

द्वारा को दी जावे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 19 मास 04 सन् 2016 ई०

में दी गई।

AS 19/4/16
न्यायाधीश
CIVIL JUDGE
S. D.J Moradabad
19-4-16

Scanned with CamScanner

(3)

वाद के खर्चे

वादी	रु०	पै०	प्रतिवादी	रु०	पै०
1-वाद-पत्र के लिए मुद्रांक	200	—	1-शक्ति-पत्र के लिए मुद्रांक	2	—
2-शक्ति-पत्र के लिए मुद्रांक	2	—	2-याचिका के लिए मुद्रांक [illegible]	5	—
3-प्रदर्शितों के लिए मुद्रांक [illegible]	5	—	3-अभिवक्ता की फीस [illegible]	20	—
4-अभिवक्ता की फीस रु० गुडे [illegible]	4	—	4-साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
5-साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय [illegible]	20	—	5-प्रवर्तिता की तामील		
6-कमीशन निष्पादक की फीस			6-कमीशन निष्पादक की फीस		
7-आदेशिका की तामील					
	231	00	योग------	272	00

मुन्सरिम के हस्ताक्षर
19/4/16
(सी० डि०) मुजफ्फरनगर

Rajan
19.11.19
प्रधान प्रतिलिपिक

वादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

Photo State Copy - By. Tech
Comp - Before Raveendran
wt - 250 Gm

Scanned with CamScanner

भूमि खसरा सं० - 61 तथा 62 जिनका नया नम्बर 74 है, खसरा सं० 58, 59, 60, 64, 65 जिनका नया नम्बर 72 है, खसरा सं० 57 जिसका नया नम्बर 71 है, कुल रकबा 3-58 एवं तथा 1/2 भाग खसरा सं० 73 रकबा 0-64 है।

Scanned with CamScanner

दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(सीनियर डिवीजन) मुरादाबाद ।

मूलवाद संख्या- 34 सन 2016

श्रीमति खदीजा हसन बनाम फहीम अहमद खाँ

श्रीमान जी,

सादर निवेदन है कि पक्षकारो के मध्य कुछ मौअज्जिज अशखास के माध्यम से समझौता हो गया है । प्रस्तुत वाद वादनी द्वारा प्रतिवादी को महज़ लिखत के कारण किसी गलतफहमी से योजित कर दिया गया था । पक्षो के मध्य हुए समझौते अनुसार प्रतिवादी/उत्तरदाता निम्न तथ्य स्वीकार करता है:-

1:- यह कि प्रतिवादी यह स्वीकार करता है कि उसने दिनांक 21•12•2013 को विवादित सम्पत्ति वादनी को मौखिक रूप से हिबा की थी, जिसे वादनी ने कबूल व मन्जूर कर लिया था, और उसी समय प्रतिवादी ने विवादित सम्पत्ति का वास्तविक आधिपत्य भी वादनी को दे दिया था ।

2:- यह कि प्रतिवादी यह भी स्वीकार करता है कि उसने उक्त मौखिक हिबा के सम्बन्ध में एक तहरीर याददाश्त दिनांक 31•12•2013 को वादनी के पक्ष में निष्पादित की थी ।

3:- यह कि प्रतिवादी यह भी स्वीकार करता है कि विवादित सम्पत्ति की स्वामिनी वादनी है और विवादित सम्पत्ति पर वादनी का ही स्वामिनी रूप में वास्तविक आधिपत्य है, तथा हिबा दिनांक 21•12•2013 के पश्चात से प्रतिवादी या उसके किसी वारिसान या कायम मुकामान का कोई सम्बन्ध जारन व कानूनन वादग्रस्त सम्पत्ति से नहीं रहा है ।

4:- यह कि प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद वादनी के पक्ष में डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

Khadija Hasan

....प्रार्थी

5:- यह कि प्रस्तुत वाद का व्यय उभय पक्ष अपना अपना स्वयं वहन करेंगे ।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रस्तुत वाद इस सन्धि पत्र के प्रकाश में डिक्री किया जावे तथा इस सन्धिपत्र को डिक्री का भाग बनाया जावे ।

दिनांक:- 21.3.16

प्रार्थीगण

श्रीमती खदीजा हसन

---वादनी

द्वारा

श्री दिनेशचन्द्र सोती

एडवोकेट

तथा

श्री फहीम अहमद खाँ

---प्रतिवादी

द्वारा

श्री दीपक बजाज,

एडवोकेट

Scanned with CamScanner

Deepak Bajaj
Advocate
Ch.No.-161, District Courts
Moradabad
Regn. No. UP1940/42
D.J. Regn. D-83
Resi-54, Kothiwal Nagar
Moradabad-244001

Scanned with CamScanner